OFFICE OF THE CO-ORDINATOR PRE D.EL. ED. EXAM- 2025

Vardhman Mahaveer Open University, Kota

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की द्वितीय काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश

1. विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 18.07.2025 (शुक्रवार) से 23.07.2025 (बुधवार) तक ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ की जा रही है | अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाईट https://predeledraj2025.in के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है |
2. द्वितीय काउंसलिंग हेतु ऐसे सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने पूर्व में प्रथम काउंसलिंग हेतु आवेदन नहीं किया है,उनके द्वारा काउंसलिंग फीस रु. 3000/- ऑनलाईन भुगतान करके द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेकर केवल अद्यतित अध्यापक शिक्षा संस्थान के विकल्प का चयन किया जा सकता है |
3. वह अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में राशि रु. 3000/- का भुगतान किया है उन्हें, पुनः इस राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है | वह भी केवल अद्यतित अध्यापक शिक्षा संस्थान अपनी विकल्प सूची में जोड़ सकते है |
4. संस्था आवंटन के प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन-रिपोर्टेड / नॉन – एडमिटेड / रिजेक्टेड इत्यादि भी अद्यतित अध्यापक शिक्षक संस्थानों में द्वितीय काउंसलिंग हेतु अपनी पात्रता प्रस्तुत कर सकते है |
5. परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क 3000/- रूपए जमा करवा कर काउसलिंग में भाग ले सकता है | यह राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित की जाएगी |
6. अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्पों (Choice) में से अधिकतम विकल्प भरें। अभ्यर्थी सबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों का भी चयन कर सकता है। विकल्प प्रदान करने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन हेतु विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा | अभ्यर्थी को कम से कम एक अध्यापक शिक्षा संस्थान का चयन आवश्यक रूप से करना होगा |
7. अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया (काउंसलिंग) पूर्णतः ऑनलाइन है,काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025 के अपने मूल आवेदन-पत्र में दर्शाए गये केटेगरी (GEN, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS etc.) तथा सब केटगरी (Divorcee/Widow/PH/Defense etc.) की जाँच कर ले तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो यह सुनिश्चित कर लें। वैध जाति प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक रूप से वैध मूल निवासी प्रमाण पत्र / विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र (जो लागू हो) संलग्न होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास अर्हता, कैटेगरी (अर्हता परीक्षा में GEN के लिए 50% व महिला एवं EWS / SC / ST / OBC / SBC / MBC / PH / Widow / Divorce के लिए 45% से उत्तीर्ण) से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी । मूल दस्तावेजों एवं अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना में भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी |
8. अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025 की अधिकृत वेबसाईट पर स्थित अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची के नाम पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन अध्यापक शिक्षा संस्थानों के बारें में सम्पूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें तदुपरान्त ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन कर ही

लॉक करना उचित रहेगा। अध्यापक शिक्षा संस्थान चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें एक बार लॉक होने पर पुनः अध्यापक शिक्षा संस्थान विकल्प का चयन नहीं होगा।

9. यदि अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं की जाती है तो अंतिम तिथि के उपरान्त भरी गयी चॉइस स्वतः ही लॉक हो जायेगी |
10. प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपेण सम्पन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल (संस्था आवण्टन से वंचित) रहे अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क 3000/- रूपये में से 100/- रूपये काटते हुए 2900/- रूपये तथा संस्था आवण्टन के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थियों के 500/- रूपये काटते हुए 2500/- रूपये वापस लौटाया जायेगा। रिफण्ड केवल अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खातें में ही होंगे। अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFSC CODE इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें | बैंक खाता विवरण गलत दिए जाने से होने वाली क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी कि होगी |
11. अभ्यर्थी को गलत तथ्यों यथा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता/परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी (संवर्ग) में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश लेने का प्रयास किये जाने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क की राशि रूपये 3000/- जब्त कर ली जायेगी एवं उचित कार्यवाही की जाएगी।
12. डी. एल. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये समय-समय पर राज्य सरकार, NCTE अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे।
13. अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान की होगी।
14. जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग नही करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

समन्वयक

प्री डी.एल.एड. परीक्षा 2025